भारत-नेपाल सीमा पर रेलवे यातायात का पुनरारम्भ

338. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर सुपौल और निर्मली रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन कोसी नदी की धारा से क्षतिग्रस्त हो गई थी ;

(ख) क्या नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण तथा दरभंगा और सहरसा जिले को विशेषकर सहरसा के दो भागों को मिलाने के लिए इस लाइन पर यातायात पुन: प्रारम्भ करने का विचार है ;

(ग) क्या कोसी बांध के निर्माण से इस लाइन पर यातायात फिर से प्रारम्भ करना सम्भव हो गया है; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार विचार निर्मली और सुपौल अथवा निर्मली और बथनाहा-बीरगंज के बीच की रेलवे लाइनों को मिलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) कोसी नदी के उस पार निर्मली और और दूसरी ओर भापतियाही के रास्ते सुपौल के बीच जो पुरानी लाइन थी वह 1937-38 में कोसी नदी की बाढ़ से बह गयी थी जिसकी वजह से उस मार्ग को छोड़ दिया गया था।

(ख) पुराने मार्ग के एक भाग में सुपौल और धरमौटा (12.78 किलोमीटर) के बीच फिर से लाइन बिछाने का काम हाल ही में शुरू किया गया है और काम जारी है।

(ग) यद्यपि कोसी नदी की बाढ़ से बचाव के लिए बनाये गये बांधों के जरिए नदी की धारा को बहुत कुछ नियंत्रित किया जा चुका है फिर भी, इस क्षेत्र में लाइन का आगे और पुनर्निर्माण करने का निर्णय करने से पहले कुछ वर्षों तक सुपौल-धरमौटा भाग में लाइन के पुनर्निर्माण के बाद उस की निगरानी और अध्ययन करने का विचार है।

(घ) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चकिया स्टेशन पर चाय की दुकान

339. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के चकिया स्टेशन पर चाय की दुकान सरकारी खर्च पर बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है ;

(ग) यदि उसका उपयोग चाय की दुकान के रूप में नहीं किया जा रहा, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) चाय की दुकान के रूप में इसका उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). चाय की यह दूकान अगस्त, 1962 में खोली गयी थी। मई, 1965 तक, अलग-अलग अवधि के लिए, इसे दो ठेकेदारों ने चलाया। बिक्री बहुत कम होने के कारण ठेकेदारों ने इस का ठेका छोड़ दिया। फरवरी, 1966 में नियुक्त किये गये तीसरे ठेकेदार ने इसी कारण से काम शुरू नहीं किया और फिलहाल दूकान खाली पड़ी है।

(घ) इस दूकान को चलाने के लिए नयी अर्जियां मंगाने के लिए आवश्यक अधिसूचना फिर से जारी की जा रही है।

रेलवे कर्मचारियों को रात्रि में काम करने के लिये भत्ता

340. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन रात्रि के समय कार्य पर लगाये गये बुकिंग क्लर्कों, ड्राइवरों, फिटरों और खलासियों को रात्रि में काम करने का भत्ता देता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दानापुर (पूर्व रेलवे) लोको शेड में कार्य करने वाले कुछ कोयला निरीक्षकों को रात्रि के समय कार्य पर लगाया जाता है किन्तु उन्हें न तो रात्रि में काम करने का भत्ता दिया जाता है और न ही किसी रूप में उनकी पदोन्नति की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी हां, अगर कि वे 'निरन्तर कार्यरत रहने' के सम्बन्ध में निर्दिष्ट मापदण्ड की शर्तों को पूरा करते हों ।

(ख) और (ग). इस प्रयोजन के लिए सरकार ने 'निरन्तर कार्यरत रहने' के सम्बन्ध में जो मापदण्ड निर्धारित किये हैं, उनके अनुसार कोयले की जांच करने वाले कर्मचारी (coal checkers) रात्रि भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं ।

जहां तक इन कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रश्न है, वह पूर्णतया विभिन्न बातों पर निर्भर है, जैसे ऊंचे ग्रेड में खाली पदों की उपलब्धता और सम्बन्धित व्यक्ति की वरिष्ठता और उपयुक्तता ।

दानापुर लोको-शैड के स्थानापन्न मजदूर

341. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर (पटना) लोको-शैड में 67 मजदूर और कर्मचारी पिछले सात या आठ वर्ष से स्थानापन्न कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें 70 रुपये मासिक वेतन तथा 47 रुपये मासिक महंगाई भत्ते पर नियुक्त किया गया था परन्तु उन्हें नैमित्तिक मजदूरों को मिलने वाली अर्थात् केवल 1 रु० 5 पैसे की दर के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है ;

(ग) क्या रेलवे नियमों के अनुसार स्थानापन्न मजदूरों और कर्मचारियों को स्थायी पद देने की व्यवस्था है ;

(घ) क्या दानापुर के अतिरिक्त अन्य रेलवे डिवीजनों के स्थानापन्न कर्मचारियों को रेलवे विशेष पास, पी० टी० ओ०, आकस्मिक अवकाश, औसत वेतन अवकाश, सालाना तरक्की, चिकित्सा सुविधायें दी जाती है और उक्त कर्मचारियों को ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री सी० एम० पुनाचा) : (क) जी नही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नही ।

(घ) और (ङ) रेलवे में लगातार छ: महीने काम कर लेने के बाद एवजी कर्मचारी जिनमें पूर्व रेलवे के दानापुर मण्डल के कर्मचारी भी शामिल हैं, अस्थायी रेल कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अधिकारों और सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं । इसलिए असमानता का प्रश्न नही उठता ।

Bridge Near Baruipur Railway Station

312. Shri Jyotirmoy Basu:
Shri A. K. Gopalan:
Shri Umanath:

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the old bridge connecting all the platforms within Baruipur Railway station (Eastern Railway) premises was removed by the authorities;

(b) if so, when and the reasons therefor;